न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 52/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 भोलदास पुत्र केवलदास जाति साद निवासी– चन्दलाई, तहसील– सोजत, जिला– पाली।		01. पेमाराम पुत्र मदरूप जाति मेघवाल निवासी– चन्दलाई, तहसील– सोजत, जिला– पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 12/12/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि चन्दलाई पटवार हल्का सरदारसमंद तहसील सोजत जिला पाली मे आवागमन हेतु अप्रार्थी की कृषि जोत की भूमि ख0न0 97/851 की जोत में से नया मार्ग अपनी खातेदारी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 99 तक जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा संख्या 99 में आने–जाने अर्थात् आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 97/851 रकबा 0.8000 किस्म बा0दो0 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की डी0 एल0 सी0 राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सरहद चन्दलाई पटवार हल्का सरदारसमंद तहसील सोजत जिला पाली राज0 के अप्रार्थी की कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 97/851 रकबा 0.8000 है0 में से 20 फुट चौड़ा रास्ता जो प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, रास्ता घोषित किया जाकर प्रार्थी की खसराजात कृषि जोत भूमि खसरा नंबर 99 तक आने–जाने अर्थात् आवागमन रास्ता दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामीली सूचना बार–बार

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

वाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 12.12.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2022/2831 दिनांक 16.11.2022 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि दरख्वास्त प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थी को अपनी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 99 में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी के खसरा संख्या 97/851 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 शिवपुरा, सोजतसिटी द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि आज दिनांक 14.11.2022 को श्रीमान तहसीलदार, सोजत के आदेशानुसार से भू0अभि0 निरीक्षक शिवपुरा रूघाराम, पटवारी दिलदार खान पटवार मंडल सरदारसमंद मौतबिरान सहित रास्ता प्रयोजनार्थ मौका रिपोर्ट बाबत् मौके पर पहुँचे। नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 99 में आने जाने हेतु सबसे नजदीक रास्ता एबीसीडी दर्शाया हुआ है जो सबसे नजदीक है। इस रास्ते की लम्बाई 110 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर कुल क्षेत्रफल 110 गुना 06 यानी 660 वर्ग मीटर 0.0660 हैक्टर है। प्रस्तावित रास्ते पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं है तथ मौके पर भूमि खाली पड़ी है। अतः खसरा नम्बर 99 में आने जाने हेतु नजरी नक्शे अनुसार रास्ता उपयुक्त रहेगा। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 127575/— रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (127575/— रू0 × 2 × 0.0660 है0 = 16840/— रूपये) बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 97/851 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत शिवपुरा की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार ''1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और

उप खण्ड अधिकारी

जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है.।'' चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूॅच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 शिवपुरा, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है तथा निंकटतम मार्ग खसरा नम्बर 97 / 851 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचना / विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। कि चन्दलाई पटवार हल्का सरदारसमंद तहसील सोजत जिला पाली के खसरा नंबर 99 रकबा 1.9400 है0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थी की ख0न0 97 / 851 की कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारान के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 97 / 851 में से (127575 / — रू0 × 2 × 0.0660 है0 = 16840 / — रूपये) उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है:—

क0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो / काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में
01	97 / 851	0.8000 है0	पेमाराम पुत्र मदरूप जाति मेघवाल निवासी— चन्दलाई, तहसील— सोजत, जिला— पाली।	110मी0 × 06 मी0 = 0.0660 है0	16840 / —रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली)

...र होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 12/12/22 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.